कार्यालय जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर

नरसिंह भवन 487001 नरसिंहपुर फोन नं .07792-230900 E-mail:- dmnarsinghpur@nic.in Fax No. 230915

website:- www.narsinghpur.nic.in

क्रमांक / 4278 / सॉ.लि. / 2021 नरसिंहपुर, दिनांक 03 / 04 / 2021

—:आदेश:—

(अंतर्गत धारा 144 दं0प्र0सं01973)

मेरे संज्ञान में आया है कि जिले में साम्प्रदायिकता की दृष्टि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के समूह द्वारा सामाजिक/धार्मिक ताने–बाने को तोड़ने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष, बैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह–तरह के आपत्ति जनक संदेश, चित्रों एवं वीडियों आदि मैसेज के द्वारा प्रसारण किया जाकर समुदाय के विरूद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों को प्रसारण किया जाता है जिससे नरसिंहपुर जिले की सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है। इस तरह की गतिविधियों से जनसामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकायें व्याप्त हो रही हैं। अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु जिले में दण्ड प्रकिया संहिता– 1973 की धारा – 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना लोक हित में वांछनीय आवश्यक है।

अतः मैं वेद प्रकाश जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेधाज्ञा जारी करता हूं:–

1– नरसिंहपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो/चित्र मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज या किसी व्यक्ति विशेष/ संस्था की छवि धूमिल किये जाने हेतु भ्रमात्मक संदेश या उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।

2– इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एकपक्षीय तौर पर पारित किया जाता है। जनसामान्य की सूचना हेतु उक्त आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में प्रसारित किया जाये।

यह आदेश आज दिनांक........./04/2021 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया।

(वेद प्रकाश)
जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर

पृ.क्रं./4279/सां.लि./2021 नरसिंहपुर,दिनांक 03/04/2021

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व/तहसीलदार/नायब तहसीलदार सर्व जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सर्व जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिले की नगरपालिका/नगरपरिषदों के माध्यम से उक्त आदेश का समस्त सार्वजनिक दृष्टिगोचर स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु अग्रेषित।
10. सर्व जिला प्रमुखों ....जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, नरसिंहपुर की ओर जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट एन.आई.सी. नरसिंहपुर की ओर जिला प्रशासन की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर